न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील भरण पोषण संख्या 09/21 **सन् 2021**

GCMS NO-2021/59

बउनवानीः—1. वचन सिंह पुत्र राजूलाल मीना निवासी गावडी कलां, तहसील गंगापुर सिटी जिला,स0मा0

बनाम

1. राजूलाल पुत्र रतन लाल मीना नि0 गावडी कलां तह0गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा मिसल संख्या 10/2019 मे पारित आदेश दिनांक 11.01.2021 अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम,2007)

उपस्थितः— 1. श्री घनश्याम योगी — वकील अपीलान्ट

2. श्री राजूलाल — स्वंय अपीलान्ट

—: निर्णय :— **दिनांक 12.10.2021**

अपील अपीलान्ट ने उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा मिसल संख्या 10/2019 मे पारित निर्णय दिनांक 11.01.2021 के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी द्वारा दिये गये बनावटी तथ्यो पर आख बंद कर विश्वास कर आलोच्य आदेश पारित किया है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.01.2021 मे मिन अपीलार्थी द्वारा किये गये कथनों को कतई नजर अंदाज कर आलोच्य आदेश पारित किया गया है जो प्रथम दृष्टया मात्र खानापूर्ति करते हुए पारित किया गया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि प्रकरण में उभय पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जावे किन्तु हस्तगत प्रकरण में मिन अपीलार्थी को उसके द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित तथ्यों को साबित करने का कोई अवसर नही दिया है जबकि जवाब प्रार्थना पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि राजूलाल द्वारा पिछले करीब 15 वर्षो से अपने परिवार तथा अपनी पत्नि व उसके पुत्रों का बिना किसी कारण परित्याग किया हुआ है तथा राजूलाल अपने घर तक नही आया है प्रार्थी तथा राजूलाल की मॉ द्वारा हर रोज उसे घर लाने का प्रयास किया जाता है पूरे गांव के समक्ष उसके पैर पकडकर उसके घर चलने की लाखों बार मिनते कर चुके है उसके पश्चात भी प्रार्थी राजूलाल द्वारा लोगो के बहकावे मे आकर मिन अपीलार्थी व उसकी माता एवं पूरे परिवार का परित्याग किया हुआ है। राजूलाल शराब पीने का आदि होने के कारण राजूलाल का चाचा रामकिशन व उसके परिवार वाले प्रार्थी के पिता राजूलाल को अपने पक्ष में बनाकर रखने के लिए उसे नियमित रूप से शराब पिलाते है शराब पिलाकर पूर्व में भी अपीलान्ट की पैतृक खातेदारी भूमि का इकरारनामा भी स्वंय के पक्ष मे निष्पादित करवा लिया था ओर उक्त इकरारनामे के आधार पर अपीलान्ट की खातेदारी भूमि पर जबरन [illegible] या जिसके विरूद्व ब्रीच प्रार्थना पत्र उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के समक्ष प्रस्तुत [illegible] थी जो वर्तमान मे विचाराधीन है। प्रकरण मे प्रार्थी राजूलाल चूंकि शराब [illegible] के लिये पैसो का इन्तजाम करने के लिए अपीलान्ट की पैतृक खातेदारी [illegible] विभिन्न अपराधिक प्रकरणों मे विभिन्न न्यायालयों मे देता रहता है जिसके संबंध मे अपीलान्ट द्वारा रेस्पो. को काफी समझाईश [illegible] अपने कृत्यो से आज तक बाज नही आया है। यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश [illegible] अपील में निर्धारित की गयी राशि का भुगतान राजूलाल को किया जाता है तो उसको शराब पीने की खुली छूट मिल जायेगी जिसके अपीलान्ट के परिवार को जान माल का खतरा हो सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.29 19:16:07 IST
Reason: SelfAttested

Ghn

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

रेस्पो. द्वारा दोराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है। क्योकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवायी उभय पक्ष एवं उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाकर ही निर्णय पारित किया गया है। यह तर्क भी दिया कि रेस्पो0 के तीन पुत्र है जिनमे से भवर सिंह व उसकी पत्नि संतोष राजकीय सेवा में है तथा प्रार्थी का एक पुत्र चेतन सिंह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तथा एक पुत्र वचन सिंह प्रार्थी की खातेदारी की सम्पूर्ण भूमि (लगभग 24 बीघा भूमि) काश्त करता है। रेस्पो. राजूलाल 60 वर्षीय वृद्व व्यक्ति है जो कोई भी कार्य करने मे असमर्थ है तथा प्रार्थी की मॉ श्रीमति रामपति जिसकी उम्र लगभग 85 वर्ष है को भी अपीलान्टगण द्वारा घर से निकाल रखा है। प्रार्थी व प्रार्थी की मॉ को उसके पुत्र खाने पीने को कुछ भी नही देते है। प्रार्थी व उसकी मॉ दूसरों के घर (चाचा रामकिशन के घर) पर रहते है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील मे निर्धारित की गयी गुजारा भत्ता राशि नियमित रूप से रेस्पो.को उपलब्ध करवायी जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट एवं स्वंय रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट एवं रेस्पो. को सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया है। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेण्ट के भरण पोषण का दायित्व अपीलान्ट का है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. के भरण पोषण हेतु बहुत ही सामान्य राशि 1500/–रू प्रति पुत्र के हिसाब से तीनो पुत्रों से कुल 4500/– प्रतिमाह निर्धारित की गयी है इससे कम राशि भरण पोषण हेतु दिया जाना न्याय संगत नही है तथा उक्त राशि का भुगतान अपीलान्ट द्वारा नियमित रूप से रेस्पो. को किया जाना चाहिए। उपरोक्त तथ्यो के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार विधिक त्रुटि प्रतीत नही होने के कारण हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.29 19:16:07 IST
Reason: SelfAttested